

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
विधवा/निराश्रित महिला पैशन के लिये आवेदन—पत्र

कम्प्यूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं0.....

भाग —1

आवेदन तिथि:

1. परिवार आईडी0(यदि नहीं है
तो भाग—2 में सूचना भरें)
2. प्रार्थी का नाम: श्रीमती.....
3. पिता/पति का नाम: श्रीपुत्र श्री.....
4. पूर्ण स्थाई पता:
5. गरीबी रेखा सूची संख्या/ सामाजिक आर्थिक जातीय गणना संख्या:
6. क्या आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी है ?
(मतदाता पहचान पत्र/मतदाता सूची/ राशन कार्ड में से कोई स्वयं द्वारा सत्यापित एक दस्तावेज प्रस्तुत करें जो आवेदक को कम से कम 5 वर्ष से हरियाणा का निवासी होने को साबित करता हो अथवा स्व—घोषणा प्रस्तुत करें) हाँ नहीं
7. जन्म तिथि (जन्म तिथि प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र/
मतदाता पहचान पत्र/मतदाता सूची में से कोई स्वयं
द्वारा सत्यापित एक दस्तावेज प्रस्तुत करें) जन्म तिथिआयु.....वर्ष
दस्तावेज जो संलग्न किया गया है
8. आवेदक की सभी साधनों से वार्षिक आमदनी:रु0
9. यदि विधवा है, तो पति कि मृत्यु तिथि:
(मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. यदि निराश्रित है, तो निराश्रित होने का कारण:
क) बिना पति, माता—पिता एवं पुत्र।
ख) विवाहित महिला के मामले में पति के द्वारा छोड़ी हुई।
ग) विवाहित महिला के मामले में पति का
शारीरिक / मानसिक तौर पर अक्षम होना।
घ) अविवाहित महिला के मामले में माता—पिता का
शारीरिक / मानसिक तौर पर अक्षम होना।
11. क्या आवेदक सरकारी/स्थानीय निकाय/सांविधिक निकाय
अथवा सरकार/ स्थानीय निकाय/सांविधिक निकाय
से प्राप्त रूप से वित्तपोषित किसी संगठन में कार्यरत है?
 हाँ नहीं
12. क्या आवेदक सरकारी/स्थानीय निकाय/ सांविधिक निकाय अथवा सरकार
/स्थानीय निकाय/सांविधिक निकाय से प्राप्त रूप से वित्तपोषित किसी
संगठन से पैशन अथवा परिवारिक पैशन प्राप्त कर रहा है? (पैशन में पी0एफ0
जैसी योजनायें अथवा वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवम् बीमा समेत
किसी भी स्रोत से प्राप्त सालाना राशी शामिल है)
- हाँ नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

शपथ

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपर्यूक्त विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही है और मैं आपको इसके बारे में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरन्त दूंगा/दूंगी। यदि उपरोक्त किसी भी जानकारी को गलत या गलत तरीके से प्रस्तुत करना पाया जाता है, तो मुझे पता है कि इसके लिए मैं उत्तरदायी हूं।
मैं सामाजिक सुरक्षा पैशान योजनाओं और पैशान का लाभ उठाने के लिए एवं क्रेडिट अपने बैंक खाते में पाने हेतु हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को अपना आधार नम्बर और बैंक विवरण प्रदान करता हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

सत्यापन

(सम्बन्धित सरपंच/नम्बरदार/वार्ड पार्षद/राजपत्रित अधिकारी द्वारा)

सत्यापित किया जाता है कि मैं आवेदक को जानता हूं। उस के द्वारा ऊपर दी गई व्यक्तिगत सूचना सही है तथा आवेदक ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं/अंगूठा निशान लगाया है।

(हस्ताक्षर)

नाम

पद

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

स्वीकृत

अस्वीकृत

यदि आवेदन अस्वीकृत किया है तो अस्वीकृत करने का कारण लिखें:

तिथि

जिला समाज कल्याण अधिकारी

हस्ताक्षर

भाग - 2

क) परिवार पहचान पत्र के लिए स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों बारे सूचना

क्र	ब्यौरा	स्वयं	सदस्य - 1	सदस्य - 2	सदस्य - 3	सदस्य - 4	सदस्य - 5
1.	नाम (अंग्रेजी में)						
2.	नाम (हिन्दी में)						
3.	लिंग						
4.	पिता का नाम (अंग्रेजी में)						
5.	पिता का नाम (हिन्दी में)						
6.	माता का नाम (अंग्रेजी में)						
7.	माता का नाम (हिन्दी में)						
8.	वैवाहिक स्थिति						
9.	पति/पत्नी का नाम (अंग्रेजी में)						
10.	पति/पत्नी का नाम (हिन्दी में)						
11.	मकान नं०						
12.	गली नं०						
13.	लैंडमार्क						
14.	वार्ड/गांव						
15.	ब्लॉक/शहर						
16.	जिला						
17.	पिन कोड						
18.	पता						
19.	आधार नम्बर						

20.	ई0आई0डी0 (वैकल्पिक यदि आधार नं0 नहीं है तो)						
21.	जन्म तिथि						
22.	जन्म तिथि प्रमाण का प्रकार						
23.	जन्म स्थान का राज्य (हरियाणा / अन्य राज्य)						
24.	हरियाणा में कितने वर्ष / महीने से रह रहे हैं ?						
25.	जन्म स्थान का ज़िला						
26.	जन्म स्थान का ब्लॉक/ टाउन						
27.	जन्म स्थान का वार्ड/ गांव						
28.	आयु						
29.	मोबाइल नं0						
30.	परिवार के मुखिया के साथ सम्बन्ध						
31.	क्या दिव्यांग हैं ?						
32.	दिव्यांग प्रतिशतता						
33.	दिव्यांगता श्रेणी						
34.	दिव्यांगता का प्रकार (स्थायी / अस्थायी)						
35.	यदि दिव्यांगता अस्थायी है, तो प्रमाण पत्र की वैधता की तिथि लिखें						
36.	जाति / वर्ग						
37.	परिवार आई0डी0						
38.	व्यवसाय						
39.	वार्षिक आय						
40.	शैक्षणिक योग्यता						
41.	ई-मेल						
42.	बैंक का नाम						

43.	बैंक अकाउन्ट नम्बर						
44.	आई०एफ०एस०सी० कोड						
45.	वोटर आईडी नं०						

ख) सामाजिक आर्थिक व्यौरा